. राजस्थान सरकार

सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, झालावाड़

प्रेस समाचार

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यहां करेंगे जनसुनवाई व रात्रि चौपाल

झालावाड़ 1 जून/ जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामपाल शर्मा द्वारा माह जून में भ्रमण कार्यक्रम के तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में निरीक्षण व रात्रि चौपाल कार्यक्रम में आमजन की समस्याओं की सुनवाई करेंगे।

कार्यक्रम के अनुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी 2 जून को पंचायत समिति झालरापाटन की ग्राम पंचायत गागरोन में निरीक्षण व जनसुनवाई, 5 को पंचायत समिति खानपुर की ग्राम पंचायत बरेडा में निरीक्षण व रात्रि चौपाल, 9 को पंचायत समिति अकलेरा की ग्राम पंचायत गुलखेडी में निरीक्षण व जनसुनवाई, 12 को पंचायत समिति मनोहरथाना की ग्राम पंचायत खेरखेडा में निरीक्षण व रात्रि चौपाल, 16 को पंचायत समिति बकानी की ग्राम पंचायत बरखेडा कला में निरीक्षण व जनसुनवाई, 19 को पंचायत समिति भवानीमंडी की ग्राम पंचायत आवर में निरीक्षण व रात्रि चौपाल, 23 को पंचायत समिति सुनेल की ग्राम पंचायत ओसाव में निरीक्षण व जनसुनवाई, 26 को पंचायत समिति डग की ग्राम पंचायत दोबडा में निरीक्षण व रात्रि चौपाल तथा 30 जून को पंचायत समिति झालरापाटन की ग्राम पंचायत कनवाडा में निरीक्षण व जनसुनवाई करेंगे।

अवैध पोस्टर एवं विज्ञापन पर संबंधित के विरूद्ध होगी कार्यवाही

झालावाड़ 1 जून/ धार्मिक, राजकीय एवं सार्वजनिक स्थानों पर पूर्व स्वीकृति व बिना सूचना के पोस्टर लगाने, विज्ञापन लिखे जाने पर संबंधित के विरूद्ध होगी कार्यवाही।

जिला कलक्टर बिष्णु चरण मल्लिक ने शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों को एक आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि राजकीय, धार्मिक स्थलों पर यदि बिना स्वीकृति के अवैध पोस्टर लग हुए है और विज्ञापन लिखे हुए है तो संबंधित के विरूद्ध अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। साथ ही सार्वजनिक व निजी स्थानों का भी सर्वे कराकर यह सुनिश्चित किया जाए कि यदि उन स्थानों पर भी नियम व प्रावधानों का उल्लघंन किया जा रहा है तो नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।

जिला कलक्टर ने बताया कि राजकीय सम्पत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 2006 के द्वारा शहरी क्षेत्रों में न केवल राजकीय व धार्मिक स्थानों पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित है बल्कि सार्वजनिक व निजी स्थनों पर भी पोस्टर, विज्ञापन प्रदर्शित करने के नियम बने हुए है अर्थात पूर्व स्वीकृति व सूचना दिये बिना ऐसा करना दण्डनीय अपराध है।

शब–ए–बरात के पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था कायम रखने के निर्देश

झालावाड़ 1 जून/ जिला मजिस्ट्रेट बिष्णु चरण मल्लिक ने एक आदेश जारी कर 2 जून को शब–ए–बरात के पर्व पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जिले के समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट को अपने–अपने क्षेत्र के संवेदनशील व अति संवेदनशील गांवो, करबो में विशेष निगरानी एवं पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश जारी किये है। इस दौरान अधिकारीगण अपने–अपने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखेंगे।